


(8)  
मात्र सत्र लिपिक द्वारा ही याद लिपिक का भी कार्य किया जाता है जिससे न्यायिक कार्य में काफी परेशानी होती है। एक अतिरिक्त लिपिक की नियुक्ति के बावजूद पत्राचार किया जाये।

अनुप  
दिने गरी अतिरिक्त  
नया नियुक्त लिपिक  
के लिए आवश्यक प्र  
है।  
21/03/2021

पूछताछ के दौरान सत्रलिपिक द्वारा यह भी बताया गया कि इस त्रैमास में माह जनवरी 2021 तक की निर्णीत पत्रावलियां समय भीतर दाखिल अभिलेखागार की गयी हैं। सत्र लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि माह फरवरी 2021 की निर्णीत पत्रावलियों को अविलम्ब दाखिल अभिलेखागार किया जाना सुनिश्चित करें।

  
(रनबीर सिंह)

अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/  
विशेष न्यायाधीश (ई०सी०एक्ट/रैगस्टर एक्ट)  
कक्ष सं०-4, गोण्डा।  
19.03.2021

निरीक्षण आख्या में दिये गये निर्देशों का अनुपालन समस्त सम्बन्धित द्वारा करने के पश्चात् निरीक्षण आख्या की दो प्रति माननीय जनपद न्यायाधीश, गोण्डा के प्रशासनिक कार्यालय में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये।

  
(रनबीर सिंह)

अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/  
विशेष न्यायाधीश (ई०सी०एक्ट/रैगस्टर एक्ट)  
कक्ष सं०-4, गोण्डा।  
19.03.2021

प्रमाणित किया जाता है कि निरीक्षण आख्या में दर्शायी गयी त्रुटियों का निराकरण समस्त सम्बन्धित द्वारा भौतिक एवं वास्तविक रूप से किया जा चुका है।

अवलोकनार्थ माननीय जनपद न्यायाधीश, गोण्डा को प्रेषित की जाये।

  
(रनबीर सिंह)

अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/  
विशेष न्यायाधीश (ई०सी०एक्ट/रैगस्टर एक्ट)  
कक्ष सं०-4, गोण्डा।  
12-04-2021

Seen.  
sq  
Distt. Judge  
Gonda  
14.4.2021

सिंह की अंकना की गयी है।

**13-पंजिका प्रारूप संख्या 81 :-**

यह पंजिका जनवरी 1992 से अनुरक्षित है, जिसमें लेविल व हेडिंग चरपा है। इस पंजिका में प्रकीर्ण सिविल अपील वादों से संबंधित पत्रावलियों की अंकना की जाती है। इस पंजिका में अंतिम प्रविष्टि प्रकीर्ण सिविल अपील सं०-05/21 खन्नन प्रति हसनरजा की अंकना की गयी है।

**14-पंजिका प्रारूप संख्या 74:-**

यह पंजिका दिनांक 13.01.1992 से अनुरक्षित है, जिसमें लेविल व हेडिंग चरपा है। इस पंजिका में सिविल प्रकीर्ण वादों से संबंधित पत्रावलियों की अंकना की जाती है। इस पंजिका में अंतिम प्रविष्टि सिविल प्रकीर्ण सं०-51/2021 साहबदीन प्रति देवाराम की अंकना की गयी है।

**15-पंजिका प्रारूप संख्या 17 :-**

यह पंजिका दिनांक-26.10.2006 से अनुरक्षित है, जिसमें लेविल व हेडिंग भी चरपा किया गया है। इस पंजिका में विद्युत अधिनियम वादों से संबंधित पत्रावलियों की अंकना की जाती है। इस पंजिका की अंतिम प्रविष्टि विशेष वाद सं०-322/2021, राज्य प्रति लालबाबू, मु०अ०सं०-159/20 धारा-135 भा०वि०अवि०, धाना कटरा बाजार, जिला-गोण्डा की अंकना है।

**16-फार्म सं०-46 दायरा रजिस्टर विशेष सत्र परीक्षण गैंगस्टर एक्ट :-**

यह पंजिका दिनांक-16.05.17 से अनुरक्षित है, जिसमें लेविल व हेडिंग भी चरपा किया गया है। पंजिका में गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित विशेष सत्र वादों की अंकना की जाती है। इस पंजिका की अंतिम प्रविष्टि विशेष सत्रवाद 337/2021, धारा-3(1)यू०पी० गैंगस्टर एक्ट, राज्य प्रति लक्ष्मण सिंह आदि, धाना कटरा बाजार, जिला गोण्डा की अंकना की गई है।

मेरे द्वारा दिनांक-18/19.03.2021 को यह देखने के लिए कि कार्यालय में न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन समय से किया जा रहा है अथवा नहीं। इस सम्बन्ध में निम्न पत्रावलियों का अवलोकन किया गया **1-सत्र वाद सं०-369/13, मु०अ०सं०-188/09, धारा-3/25 आयुध अधिनियम, राज्य प्रति विकास बर्मा, धाना खरगपुर** से सम्बन्धित पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि न्यायालय द्वारा अभियुक्त को जरिये गैर जमानतीय वारंट /82/83 दं०प्र०सं० की आदेशिका जारी किये जाने का आदेश पारित किया गया है जो सम्बन्धित लिपिक द्वारा समय मीतर आदेश अनुपालन किया गया। **2-सत्र वाद सं०-254/11, मु०अ०सं०-187/09, धारा-307, भा०दं०सं०, राज्य प्रति विकास बर्मा, धाना खरगपुर** से सम्बन्धित पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अभियुक्त को जरिये एन०बी०डब्ल्यू०/82/83दं०प्र०सं० की आदेशिका के तहत तलब किये जाने का आदेश पारित किया गया है परन्तु सत्र लिपिक का द्वारा उक्त आदेश का अनुपालन किया जाना नहीं पाया जाता है। अतः सम्बन्धित लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश का अविलम्ब अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।

इस न्यायालय पर माननीय जनपद न्यायाधीश, गोण्डा के आदेश सं०-59 दिनांकित-17.02.2021 के अनुसार गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित मामलों के विचारण का क्षेत्राधिकार भी प्राप्त हुआ है। गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित पत्रावलियों को संरक्षित रखने हेतु कार्यालय प्रथम तल पर है जो कार्यालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी० द्वितीय गोण्डा के, कार्यालय के साथ है। इस न्यायालय में विशेष न्यायाधीश (ई.सी.एक्ट) से सम्बन्धित पत्रावलियों को संरक्षित रखने हेतु कार्यालय द्वितीय तल में न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०-5 गोण्डा के कार्यालय के साथ स्थित है, परन्तु विशेष न्यायाधीश (ई.सी.एक्ट)/गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित पत्रावलियों के रख रखाव की जिम्मेदारी हेतु मात्र एक सत्र लिपिक की नियुक्ति है। एक

कोर्ट में  
दिनांक 18/19.03.2021  
कोर्ट में  
न्यायालय में  
लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश का अविलम्ब अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।  
एक लिपिक

(6)  
306, 419, 420, 467, 471, 500, 505, 506 व 508 आई.टी. एक्ट धाना-छपिया जिला गोण्डा की अंकना है।

**7-पंजिका प्रारूप संख्या-14 अध्याय 19 नियम 167 सामान्य नियम दायिक्त-**

यह पंजिका सादे कागज पर जनवरी 1998 से अनुसूचित की गयी है, इसमें लेविल व हेडिंग चरखा है। जिसमें दायिक्त निगरानी वादों से सम्बन्धित समस्त पत्रावलियों का इन्द्राज किया जाना अंकित है। अंतिम प्रविष्टि दायिक्त निगरानी वाद सं०-40/21, अमीना खातुन प्रति जमीन की अंकना है। पंजिका पर लगे कवर पुराने हो चुके हैं, जिसके सम्बन्ध में सत्र लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि वे पंजिका पर नया कवर लगाया जाना सुनिश्चित करें। पंजिका के अवलोकन से विदित होता है कि पंजिका के अंतिम पृष्ठ पर सत्र लिपिक द्वारा कुछ अंकित करके पुनरुत्स काट गया है, जो आपत्तिजनक है। इस सम्बन्ध में सत्र लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि वे इस प्रकार की पुनरावृत्ति भविष्य में न करें।

**8-पंजिका प्रारूप संख्या-13 अध्याय 16 नियम 169 सामान्य नियम दायिक्त अपील-**

यह पंजिका सादे कागज पर दिनांक-13.11.2002 से अनुसूचित है, जिसमें लेविल व हेडिंग चरखा है, परन्तु यह फटा हुआ है। पंजिका में दायिक्त अपील वादों से सम्बन्धित समस्त पत्रावलियों का इन्द्राज किया जाना अंकित है। इस पंजिका में अंतिम प्रविष्टि दायिक्त अपील सं०-05/92 विन्नावराम प्रति राज्य की अंकना की गयी है। सत्र लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि वे पंजिका में पुनः लेविल व हेडिंग चरखा किया जाना सुनिश्चित करें।

**9-पंजिका प्रारूप संख्या-12-**

यह पंजिका सादे कागज पर दिनांक 04.05.1999 से अनुसूचित है, जिसमें लेविल व हेडिंग भी चरखा किया गया है, परन्तु फटा हुआ है। इस पंजिका में प्रकीर्ण वादों से संबंधित पत्रावलियों की अंकना की जाती है। इस पंजिका की अंतिम प्रविष्टि प्रकीर्ण वाद सं०-26/2021 राज्य प्रति मोहम्मद आरिफ खान आगात सार-138 भारतीय विद्युत अधिनियम, धाना-पररापुर, जिला-गोण्डा की अंकना है। सत्र लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि वे पंजिका में पुनः लेविल व हेडिंग चरखा किया जाना सुनिश्चित करें।

**10-जमानत प्रार्थनापत्रों से संबंधित प्रारूप संख्या-12ए-**

यह पंजिका सादे कागज पर दिनांक-13.07.2017 से अनुसूचित की गयी है, जिसमें लेविल व हेडिंग चरखा किया गया है। इस पंजिका में इस श्रेणी में कुल 40 जमानत प्रार्थना पत्रों की अंकना की गयी है। इस पंजिका की अंतिम प्रविष्टि के रूप में जमानत प्रार्थनापत्र सं०-214/2021, अनुल सिंह बनाम राज्य, मु०अ०स०-111/2020, धारा-188, 325, 504, 506, 307 भा०द०स०, धाना उमरी बेगमबाग, जिला गोण्डा की अंकना की गई है। सम्बन्धित लिपिक को भविष्य के लिए निर्देशित किया जाता है कि पंजिका पर लगे लेविल व हेडिंग पुनः नये सिरे से चरखा किया जाना सुनिश्चित करें।

**11-पंजिका प्रारूप संख्या 2-**

यह पंजिका दिनांक-01.01.92 से अनुसूचित की गई है, जिसमें लेविल व हेडिंग चरखा किया गया, परन्तु जर्जर अवस्था में है। इस पंजिका में सिविल निगरानी वादों से संबंधित पत्रावलियों की अंकना की जाती है। इस पंजिका में अंतिम प्रविष्टि सिविल निगरानी सं०-05/2020 सीतासरन प्रति भवानी प्रसाद आदि की अंकना की गयी है। सत्र लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि वे पंजिका में पुनः लेविल व हेडिंग चरखा किया जाना सुनिश्चित करें।

**12-पंजिका प्रारूप संख्या 8-**

यह पंजिका दिनांक-06.05.01988 से अनुसूचित है, जिसमें लेविल व हेडिंग चरखा है। इस पंजिका में सिविल अपील वादों से संबंधित पत्रावलियों की अंकना की जाती है। इस पंजिका में अंतिम प्रविष्टि सिविल अपील सं०-03/10 फतेह बहादुर सिंह प्रति कृष्णकान्त

श्रीमान जी  
दिने गपे लिखें  
की अनुमान  
मौखिक एवं मौखिक  
है वे अनुमान  
सुनिश्चित किया  
गया।  
सत्र लिपिक  
  
श्रीमान जी  
दिने गपे लिखें  
की अनुमान  
मौखिक एवं मौखिक  
है वे अनुमान  
सुनिश्चित किया  
गया।  
सत्र लिपिक  
  
श्रीमान जी  
दिने गपे लिखें  
की अनुमान  
मौखिक एवं मौखिक  
है वे अनुमान  
सुनिश्चित किया  
गया।  
सत्र लिपिक  
  
श्रीमान जी  
दिने गपे लिखें  
की अनुमान  
मौखिक एवं मौखिक  
है वे अनुमान  
सुनिश्चित किया  
गया।  
सत्र लिपिक

Handwritten notes in the top left corner, including the name 'अभिषेक' and other illegible text.

कि अविनाय फ्लाई लीप कोषाधिकारी, मोरवा को भेजकर बाद सत्याना अर्थदण्ड पत्रिका में चर्चा करना सुनिश्चित करे तथा अर्थदण्ड पत्रिका में चर्चा कर भरे समक्ष रजिस्टर प्रस्तुत कर हस्ताक्षर कराना सुनिश्चित करे। निरीक्षण तिथि दिनांक-18.03.2021 व 19.03.2021 को ईसीसीएक्ट अर्थ दण्ड पत्रिका में माह फरवरी का ओपनिंग बैलेंस मु०-1257375. फाइन इम्पोज मु०-1,47,000, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगित मु०-546,475 / रु० अर्थदण्ड जिसके एवज में अभियुक्त जेल में निरूद्ध है मु०-12,900 / रु० तथा वकीलिंग बैलेंस मु०-1259375 / रु० अंकित है तथा ए०डी०जी०-4 अर्थ दण्ड पत्रिका में ओपनिंग बैलेंस मु०-1223500 / रु०, फाइन इम्पोज-निल, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगित मु०-649000 / रु०, अर्थदण्ड जिसके एवज में अभियुक्त जेल में निरूद्ध है मु०-554500 / रु० तथा वकीलिंग बैलेंस मु०-1203500 / रु० अंकित है। पत्रिका का रख रखाव ठीक प्रकार से किया जा रहा है। पत्रिका में लेविल तथा हेडिंग नियमानुसार चर्चा किया गया है।

**2-पत्रिका प्रारूप संख्या-18 अध्याय-17 नियम 163 सामान्य नियम दाण्डिक-**

यह पत्रिका सादे कागज पर दिनांक-08.01.92 से अनुरक्षित की गयी है जिसमें हेडिंग व लेविल चर्चा है। इस पत्रिका में न्यायालय पर उपस्थित साक्षियों, जिनका साथ अंकित किया जाता है, उनके द्वारा आने-जाने व भोजन व्यव आदि का विवरण देने पर धनराशि अदा किया जाता है। पत्रिका की अंतिम प्रतिष्ठि के रूप में सं०-01 ए०सी०-10-270/86, में सभी अवकाश प्राप्त उप निरीक्षण श्री बंदाबंदपुर रिंड को साथ के उपरान्त मु०-110 / रु० खर्चा खुला दिये जाते की अंका की गई है।

**3-पत्रिका प्रारूप संख्या-103 अध्याय-14 नियम 108 सामान्य नियम व्यवहार-**

इस पत्रिका को मुंसिम/रीडर द्वारा दिनांक 04.10.2019 से अनुरक्षित किया गया है, जिसमें हेडिंग व लेविल चर्चा है। जिसमें न्यायालय की राफ्त प्रेषित किये गये आवेदन पत्रों पर लगे टिकटों की धनराशि की अंका की गयी है। उक्त पत्रिका के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि इस जेल में दैनिक, सप्ताहिक, मासिक, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक योग किया गया है। निरीक्षण की तिथि दिनांक-18/19.03.2021 को कुल 35 प्रार्थना पत्रों के प्राप्त होने की अंका की गयी तथा उस पर लगे टिकटों की कुल धनराशि मु०-92 / रु० आवेदन पत्रों के प्राप्त होने की अंका की गयी है फिर भी इस सम्बन्ध में मुंसिम/रीडर को निर्देशित किया जाता है कि वे बन्धियों में प्राप्त सभी आवेदन पत्रों पर लगे टिकटों की धनराशि की अंका कर उनका योग करना सुनिश्चित करें।

Handwritten notes on the left side, including the name 'अभिषेक' and other illegible text.

**4-बयान शूल्क पत्रिका :-**

यह पत्रिका मुंसिम/रीडर द्वारा दिनांक-01.07.2019 से प्रारम्भ की गयी है। पत्रिका में लेविल व हेडिंग चर्चा है। पत्रिका के अवलोकन से यह ज्ञित होता है कि न्यायालय में परीक्षित गवाहान के बयान की प्रतिलिपि/कार्डन प्रति अभियुक्त व उनके अधिवक्ता को दिये जाने के उपरान्त उनसे प्राप्त धनराशि की अंका की जाती है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक-18/19.03.2021 को कुल 9 साक्षियों के बयान अंकित किये गये हैं जिसमें अभियुक्त को प्रतिलिपि देने के उपरान्त मु०-90 / रु० प्राप्त हुए हैं जो नजारात अनुनाम में रोकडिन को प्राप्त करवाया गया है।

**5-प्रस्तुतकर्ता की डायरी :-**

मैंने प्रस्तुतकर्ता की कम्प्यूटराइज्ड काजलिस्ट का भी अवलोकन किया। उक्त कम्प्यूटराइज्ड काजलिस्ट पर पर वार्दों के कमांक, धारा, धाना, फसकार के नाम, अधिवक्ता का नाम अंकित है।

**6-पत्रिका प्रारूप संख्या-15 अध्याय-17 नियम 169 सामान्य नियम दाण्डिक:-**

यह पत्रिका न्यायालय के कार्यालय में सैनात अत्र लिपिक द्वारा सादे कागज पर दिनांक-09.05.1997 से अनुरक्षित की गयी है। इस पत्रिका में सत्र लिपिक द्वारा लेविल व हेडिंग चर्चा किया गया है। जिसके परिशीलन से अंतिम प्रतिष्ठि के रूप में सत्र परीक्षण वाद सं०-294 / 2021 राज्य प्रति राजकुमार प्रकाश, मु०-200 सं०-205 / 20 धारा- 120बी,

Handwritten signature or mark at the bottom center of the page.

**प्रभावली संख्या-20(सी)**

कोई टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

**प्रभावली संख्या-20(डी)**

कोई टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

**प्रभावली संख्या-20(ई)**

कोई टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

**प्रभावली संख्या-20(एफ)**

वार्षिकिक द्वारा बताया गया कि निष्पादन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अविलम्ब रजिस्टर संख्या-68 में नियमानुसार दर्ज किया जाता है। फिर भी वाद लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि वह भविष्य में निष्पादन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अविलम्ब रजिस्टर संख्या-68 में नियमानुसार दर्ज करना सुनिश्चित करे।

**प्रभावली संख्या-20(जी)**

इस न्यायालय से कोई रिट ऑफ अटेचमेंट जारी नहीं किया गया है।

**प्रभावली संख्या-21**

इस न्यायालय में कार्यरत मुंसरिम/रीडर द्वारा निम्नलिखित गार्ड फाइलें अनुरक्षित की गयी हैं, जिनका अवलोकन किया गया :-

**माननीय उच्च न्यायालय से सम्बन्धित गार्ड फाइलें-**

उक्त गार्ड फाइल में माननीय उच्च न्यायालय से सम्बन्धित प्राप्त प्रपत्रों की अंकना की जाती है, जिसमें हेडिंग नियमानुसार छपना है और प्रेषित सभी प्रपत्रों एवं आदेशों को सूची बद्ध तरीके से अनुरक्षित नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में मुंसरिम/रीडर को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त गार्ड फाइल में सभी प्रपत्रों को सूची बद्ध तरीके से अनुरक्षित किया जाना सुनिश्चित करें।

**माननीय जनपद न्यायाधीश से सम्बन्धित गार्ड फाइलें-**

उक्त गार्ड फाइल में माननीय जनपद न्यायाधीश गोष्ठा से सम्बन्धित प्राप्त प्रपत्रों की अंकना की जाती है, जिसमें हेडिंग व लेवल छपना है। उक्त गार्ड फाइल में माननीय जनपद न्यायाधीश गोष्ठा द्वारा प्रेषित कुछ प्रपत्रों एवं आदेशों को सूचीबद्ध तरीके से अनुरक्षित नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में मुंसरिम/रीडर को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त गार्ड फाइल में माननीय जनपद न्यायाधीश गोष्ठा द्वारा प्रेषित सभी प्रपत्रों एवं आदेशों को सूचीबद्ध तरीके से अनुरक्षित करना सुनिश्चित करें।

**पीठासीन अधिकारी से सम्बन्धित गार्ड फाइलें-**

उक्त गार्ड फाइल पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रेषित आदेशों को अनुरक्षित किये जाने से सम्बन्धित है, जिसमें हेडिंग व लेवल छपना है। उक्त गार्ड फाइल में पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रेषित कुछ प्रपत्रों एवं आदेशों को सूचीबद्ध तरीके से अनुरक्षित नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में मुंसरिम/रीडर को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त गार्ड फाइल में प्रेषित सभी प्रपत्रों एवं आदेशों को सूचीबद्ध तरीके से अनुरक्षित करना सुनिश्चित करें।

मैंने इस न्यायालय में अनुरक्षित अर्धदण्ड पंजिका का अवलोकन किया :-

**1-अर्धदण्ड पंजिका**

इस न्यायालय में दो अर्ध दण्ड पंजिकाएँ संभालित हैं, एक ई0सी0एफ की व और दूसरी ए0डी0जे0-4 की जिनमें न्यायालय द्वारा अधिरोपित अर्ध दण्ड की अंकना की गई है, जिनमें प्रत्येक माह में अधिरोपित अर्ध दण्ड को नीली स्याही व पूर्व सजा काट रहे अभियुक्तों जिनके द्वारा अर्ध दण्ड जमा नहीं किया गया है, उसको लाल स्याही से अंकित की गई है, जिसमें जनवरी 2021 व फरवरी 2021 में जमा धनराशि के बावत फलाई लीप लगी हुई पायी गयी है तथा मार्च 2021 में जमा धनराशि के बावत फलाई लीप लगी हुई नहीं पायी गयी है। जिसके सम्बन्ध में सत्र लिपिक द्वारा बताया गया कि अभी कोषाधिकारी को फलाई लीप प्राप्त नहीं करायी गयी है, जिसके फलस्वरूप इस मास की फलाई बसना नहीं हो सकी है। इस सम्बन्ध में सत्र लिपिक को निर्देशित किया जाता है

मीमानकी दिने गिरे रिडर का अनुपस्थान के कारण प्रेषित प्रपत्रों को अनुरक्षित किया गया है।  
रिडर  
पीठासीन अधिकारी से सम्बन्धित गार्ड फाइलें  
रिडर  
पीठासीन अधिकारी से सम्बन्धित गार्ड फाइलें  
रिडर

पत्रकवित्या अभिलेखागार में दाखिल की जा चुकी है। सब लिपिक/वादा लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि वह इसी प्रकार से निर्णीत पत्रकवित्या को अभिलेखागार में दाखिल करना सुनिश्चित करे।

**प्रश्नावली संख्या-12**

मुसरीम/शेजर द्वारा बताया गया कि इस न्यायालय से संबंधित विगत मासिक, त्रैमासिक व वार्षिक विवरण प्रशासनिक कार्यालय को समय से प्रेषित कर दिया गया है। फिर भी मुसरीम/शेजर को निर्देशित किया जाता है कि वह भविष्य में विगत मासिक, त्रैमासिक व वार्षिक विवरण प्रशासनिक कार्यालय को नियमानुसार समय से प्रेषित करना सुनिश्चित करे।

**प्रश्नावली संख्या-13**

सब लिपिक/वादा लिपिक ने बताया कि इस त्रैमास में निरीक्षण प्रार्थना पत्र व पुष्टतापत्र प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने का विवरण पृष्ठक प्रपत्र सं-4 पर अंकित कर संलग्न किया गया है। सब लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि किसी भी पत्रकवली का निरीक्षण नियमानुसार ही करना सुनिश्चित करे।

**प्रश्नावली संख्या-14**

सब लिपिक/वादलिपिक ने बताया कि इस त्रैमास के अन्दर रिपोर्ट रूम से किसी भी पत्रकवली को सुरक्षती (बंदर) हेतु प्राप्त नहीं कराया गया है।

**प्रश्नावली संख्या-15**

सब लिपिक/वादलिपिक द्वारा बताया गया कि इस न्यायालय में इस त्रैमास में कोई भी प्रार्थनापत्र पुर्नमुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है।

**प्रश्नावली संख्या-16**

निरीक्षण के दौरान सब लिपिक/वादलिपिक ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय का कोई भी मांग पत्र प्राप्त होते ही उसका अनुपालन समय से सुनिश्चित कर दिया जाता है और कोई भी मांग पत्र वर्तमान में अनुपालन हेतु इस न्यायालय में लम्बित नहीं है। फिर भी सब लिपिक/वादलिपिक को निर्देशित किया जाता है कि वह भविष्य में माननीय उच्च न्यायालय का कोई भी मांग पत्र प्राप्त होते ही उसका अनुपालन अविलम्ब करना सुनिश्चित करे।

**प्रश्नावली संख्या-17**

इस न्यायालय से सम्बन्धित नहीं है।

**प्रश्नावली संख्या-18**

इस सम्बन्ध में कोई आदेश न होने के कारण कोई भी परवाना/कुर्की जारी नहीं किया गया है।

**प्रश्नावली संख्या-19**

वादलिपिक द्वारा बताया गया कि इस न्यायालय में लम्बित दो वर्ष पुराने निष्पादन वाद माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगित है, जिसकी सूची प्रपत्र सं-6 पर अलग पृष्ठ पर अंकित है।

**प्रश्नावली संख्या-20(ए)**

इस न्यायालय में निष्पादन के कुल 1 वाद लम्बित है, जो छह माह से अधिक पुराने हैं और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगित हैं। विवरण अलग प्रपत्र सं-6 पर अंकित है।

**प्रश्नावली संख्या-20(बी)**

वाद लिपिक ने बताया कि निष्पादन वादों में पारित आदेशिकाओं को नियमित रूप से उनके द्वारा तैयार किया जाता है। फिर भी वाद लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेशिकाओं के अनुपालन के सम्बन्ध में कोई त्रुटि न हो।

Handwritten notes in Hindi, including 'सब लिपिक', 'वादा लिपिक', and 'मुसरीम/शेजर'.

Handwritten notes in Hindi, including 'निरीक्षण के दौरान' and 'माननीय उच्च न्यायालय'.

Handwritten notes in Hindi, including 'प्रश्नावली संख्या-20(ए)' and 'प्रश्नावली संख्या-20(बी)'.

क्रम सं०	कर्मचारी का नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि
1	विजय कुमार गुप्ता	मुन्सरिम / रोडर	02.11.2020
2	श्री अनिल कुमार सिंह	आसुलिपिक	08.10.2020
3	श्री विक्रम कुमार मौर्या	सत्र लिपिक	07.12.2019
4	श्री साईद अंसारी	अदालती	06.02.2021
5	श्री अजय कुमार	कार्यालय चपरासी	06.02.2021

**प्रश्नावली संख्या-3 (3)**

इस न्यायालय में दिनांक-01.01.2021 व दिनांक-18.03.2021 को लम्बित विभिन्न प्रकार के वादों का विवरण प्रपत्र संख्या-2ए पर अलग पृष्ठ पर अंकित है।

**प्रश्नावली संख्या-3(बी)**

इस न्यायालय में लम्बित सभी प्रकार के इस प्राचीनतम वादों का विवरण प्रपत्र संख्या-2बी पर अलग पृष्ठ पर अंकित है।

**प्रश्नावली संख्या-3(सी)**

विवरण प्रपत्र संख्या-2 सी, पर अलग पृष्ठ पर अंकित है।

**प्रश्नावली संख्या-4**

इस न्यायालय से कोई रिट अभी तक जारी नहीं किया गया है।

**प्रश्नावली संख्या-5**

इस न्यायालय से सम्बन्धित नहीं है।

**प्रश्नावली संख्या-6**

इस न्यायालय में कोई रिट कमिश्नर (पोस्टल) नियुक्त नहीं है।

**प्रश्नावली सं०-7**

नियोजक के दौरान प्रत्युत्कर्ता / रोडर द्वारा बताया गया कि इस न्यायालय में लम्बित वाद से सम्बन्धित पूरे अभिलेखों को सील प्रकृति में अलग-अलग में सुरक्षित रखा जाता है। फिर भी प्रत्युत्कर्ता / रोडर को निर्देशित किया जाता है कि वह भविष्य में ऐसे सभी अभिलेखों को समय से नियमानुसार अलग-अलग में सुरक्षित रखा करे।

**प्रश्नावली संख्या-8**

इस न्यायालय में 18 चांद मामलीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगित है। सूची अलग प्रपत्र सं०-8 पर अंकित है।

**प्रश्नावली संख्या-9**

निरीक्षण के दौरान सत्र लिपिक / वाद लिपिक द्वारा बताया गया कि समन / नोटिस आदि की जो आदेशिकाएँ जारी, नजारात गोंडवा को भेजी जाती है, तामीला के पश्चात् कुछ आदेशिकाएँ न्यायालय की समय से वापस प्राप्त हो जाती हैं और कुछ समय से वापस प्राप्त नहीं होती हैं। इस संबंध में सत्र लिपिक / वाद लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि इस बात का ध्यान रखे कि यदि किसी मामले में इस न्यायालय द्वारा जारी आदेशिकाएँ समय से वापस प्राप्त नहीं होती हैं, तो उसके संबंध में नजारात अनुभाग को आवश्यक कार्यवाही हेत सूचित किया जाये।

**प्रश्नावली संख्या-10**

विवरण प्रपत्र सं०-3 पर अलग पृष्ठ पर अंकित है।

**प्रश्नावली संख्या-11**

निरीक्षण के दौरान सत्र लिपिक / वाद लिपिक द्वारा बताया गया कि समस्त प्रकार की निर्णीत पत्रावलियों को समय से अभिलेखागार में दाखिल किया जाता है। इस संबंध में सत्र लिपिक / वाद लिपिक ने बताया कि माह जनवरी-2021 तक की निर्णीत

श्रीमानजी  
जिने ने सत्र लिपिक  
का अनुभाग  
गोपनीय व गोपनीय  
रूप में सुरक्षित  
विचार किया  
है।

श्रीमानजी  
जिने ने सत्र लिपिक  
का अनुभाग  
गोपनीय व गोपनीय  
रूप में सुरक्षित  
विचार किया  
है।

त्रैमासिक निरीक्षण आख्या बावत त्रैमास मार्च, 2021 न्यायालय अवर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ई०सी०एच/ई०नस्टर एच०), कक्ष सं०-4, गौन्डा द्वारा श्री रमवीर सिंह पीठासीन अधिकारी।

मेरे द्वारा दिनांक-19.03.2021 व 19.03.2021 को आधा-आधा दिन न्यायालय एवं कार्यालय का त्रैमासिक निरीक्षण किया गया। इस न्यायालय का इससे पूर्व विगत त्रैमास का त्रैमासिक निरीक्षण सेरे पूर्वविक्रमो दिनांक-21/22.12.2020 को आधा-आधा दिन सम्पादित किया गया था। निरीक्षण आख्या माननीय जनपद न्यायाधीश, गौन्डा के प्रशासनिक कार्यालय को भेजी जा चुकी है जो सम्पादित होकर इस न्यायालय को दिनांक-05.02.2021 को प्राप्त हुई है।

मेरे द्वारा कार्यालय निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कार्यालय कक्ष के डिस्टिकियो के सीरो टूटे पाये गये जिससे कार्यालय में बन्दर अने का डर है। इस सम्बन्ध में कार्यालय लिपिक से प्रश्नांक की गई तो कार्यालय लिपिक द्वारा बताया गया कि डिस्टिकियो से बन्दर के आने से रोकने के लिए किसी तरह से तार लगाकर डिस्टिकियो के होल बन्द किये गये है जिससे बन्दर त आ सकें। निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि कार्यालय में सभी आलमारी पुरानी हैं और सुव्यवस्था देग से नहीं है तथा कोई भी नई आलमारी कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। इस सम्बन्ध में सत्र लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि वह अल्पकाल गवारात जर्नलाम को वर लिखकर नई आलमारी प्राप्त करना सुनिश्चित करे। निरीक्षण के दौरान कार्यालय में साफ अफाई राष्टी रंग पाया गया। निरीक्षण के समय कार्यालय में कर्मचारी अपने काम पर कार्य में व्यस्त पाये गये, कोई बाहरी व्यक्ति कार्यालय में उपस्थित नहीं पाया गया।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रशासनिक कानूनानुसार निरीक्षण आख्या निम्न प्रकार से है:-

प्रश्नावली सं०-1

अधिकारी का नाम	त्रैमास	निरीक्षण की तिथि	उच्च जनपद न्यायाधीश को प्रेषण की तिथि
1	2	3	4
श्रीमती मीता सिंह	दिसम्बर-2020	21/22.12.2020	03.02.2021

प्रश्नावली संख्या-1ए

निरीक्षण के दौरान यह पाया कि इस न्यायालय के रीडर द्वारा निरीक्षण रिपणो की सुरक्षा प्रश्नावली का उचित प्रकार से रक्त रक्तत किया गया और पीठासीन अधिकारी, माननीय जनपद न्यायाधीश के निरीक्षण आख्या को प्रश्नावली प्रमाथित रूप से सुरक्षित रखा गया है। इस सम्बन्ध में रीडर को निर्देश दिया जाता है कि वह समय-समय पर किये गये निरीक्षण की सुरक्षा प्रश्नावली तत्काल भरण कराने रहे।

प्रश्नावली सं०-1(बी)

निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि रीडर द्वारा दायिक निरीक्षण सम्पादित नहीं किया गया है। रीडर को निर्देशित किया जाता है कि वह दायिक निरीक्षण सम्पादित करना सुनिश्चित करे।

प्रश्नावली सं०-1(सी)

निरीक्षण के दौरान वाच लिपिक द्वारा बताया गया कि इस त्रैमास में स्टाम्प निरीक्षक द्वारा कोई निरीक्षण नहीं किया गया है।

प्रश्नावली सं०-2

इस न्यायालय में निरीक्षण की तिथि पर निम्नलिखित कर्मचारी कार्यरत हैं :-

*(Handwritten signature)*

माननीय  
विशेष निदेश  
अनुपलब्ध  
सिद्ध वा/कि  
ए. सी. शिखर  
का गणना  
र  
माननीय  
विशेष निदेश  
अनुपलब्ध  
सिद्ध वा/कि  
ए. सी. शिखर  
का गणना  
रीडर



7  
14.4.21

न्यायालय IV अपर जिला एवं  
सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश  
E.C Act \* गोवडा

न्यायालय एवं कार्यालय का त्रैमासिक  
निरीक्षण आख्या

दि० 18/19-03-2021

श्री रनवीर सिंह A.D.J. /  
विशेष न्यायाधीश E.C. Act. /  
कोर्ट नं० 4 - गोवडा

30/6/21